

एफ सं. क्यू-14021/1/2016-सांख्यिकी
भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

बी-2 विंग, चौथा तल,
पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,
लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
दिनांक : 31 मार्च, 2016

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव,

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ग्रामीण पेयजलापूर्ति के प्रभारी

विषय : वार्षिक आंकड़ा अद्यतन 2016-17

निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार वर्ष 2016-17 के लिए आईएमआईएस में वार्षिक आंकड़ा अद्यतन (वाईडीयू) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जल्द ही खोले जाएंगे। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाएँ।

क) बसावटों की निर्देशिका अद्यतन करना-आँकड़ों को अद्यतन करने की प्रक्रिया की शुरुआत से पूर्व एसबीएम समन्वयक की सहायता से तथा आईएमआईएस नोडल अधिकारी के अनुमोदन से बसावटों की निर्देशिका को अद्यतन किया जाए। पंचायती राज मंत्रालय के स्थानीय सरकार की निर्देशिका में प्रदर्शित पंचायतों की सूची (<http://panchayat.gov.in>) से पंचायत मिलान करें और पंचायतों में अन्य कोई जोड़/घटावा आईएमआईएस पर करने से पूर्व इसे पहले इस पोर्टल पर किया जाना होगा।

(ख) वाईडीयू में गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की पुष्टि के लिए जल नमूना जांच फॉर्मेट में प्रयोगशाला जाँच के नमूने को प्रविष्ट किया जाए। इससे दिनांक 01.04.2016 की स्थिति के अनुसार जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की सूची का निर्धारण होगा।

(ग) वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं शेल्व को प्रविष्ट करने से पूर्व वर्ष 2015-16 की परियोजना-शेल्व को अंतिम रूप दिया जाए।

(घ) चूँकि प्रत्येक स्रोत/संवितरण बिंदु पर प्रविष्ट एलपीसीडी की उपलब्धता पर एलपीसीडी की गणना की जाती है अतः वाईडीयू पर कार्य करने से पहले किसी भी शेष स्कीम/संवितरण बिंदु का विवरण अद्यतन किया जाए।

(च) यदि कोई समस्या हो तो 011-24362610 पर एनआईसी-एमडीडब्ल्यूएस टीम से संपर्क करें।

2. अनुरोध है कि इस गतिविधि को उच्च प्राथमिकता दी जाए क्योंकि इसे समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाना है।

भवदीय

(सत्यव्रत साहु)

संयुक्त सचिव (जल)

ईमेल: jstm@nic.in

वैबसाइट : www.ddws.nic.in

दूरभाष: 24361043, फ़ैक्स : 24364113

प्रति:

1. सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण जलापूर्ति के प्रभारी।
2. सभी राज्य आईएमआईएस समन्वयक-ईमेल द्वारा।
3. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (एनआईसी)-मंत्रालय की वैबसाइट पर डालने हेतु।